Form LTC

[Rule 163E (6)]

06/Pol.-46/2018

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No.-503/2018 **Dated : ---------------**

1. A License is hereby granted to **Sri Vijay Kumar Gupta, S/o-Sri Lakshmi Prasad Gupta, College Road, Maa Ambey Chowk, Koura Maidan, Dist-Mungar, Bihar-811201** to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place/building **Ashirvad Fuels, Janki Nagar, Nawa Gadhi, Bihar** The PTS is authorized to test the following types of vehicles:-

(a) **Petrol Diesel both**
Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

2. The License will be valid from :- **30.11.2018 to 29.11.2020**

Date :
Seal :

(Signature of Licensing Authority)
विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार पटना

The license is hereby renewed from :- ------------ to ------------

(Signature of Licensing Authority)

ज्ञापांक :– 7603 पटना, दिनांक :– 30/11/18

प्रतिलिपिः 1. श्री विजय कुमार गुप्ता, पिता–श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, कॉलेज रोड़, माँ अम्बे चौक, कौरा मैदान, जिला–मुंगेर, बिहार–811201 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी आर.टी.ए./सभी डी.टी.ओ./बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आई. टी. मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature of Licensing Authority)
विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार पटना

नोट :– यह अनुज्ञप्ति पारपृष्ठ पर उल्लेखित शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

शर्त्ते :–

1. एक वार्षिक पंजी का संधारण, जिसमें प्रदूषण उत्सर्जन स्तर के लिये जांच किये गये मोटर वाहनों की विशिष्टियों का उल्लेख रहेगा।

(i) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र संख्या।

(ii) जांच किये गये वाहन की निबंधन संख्या, निर्माता, मॉडल तथा निबंधन का वर्ष।

(iii) निरीक्षण के समय गैस/धुएं का स्तर/कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत।

2. निरीक्षण किये गये मोटर वाहन की निबंधन संख्या, निरीक्षण के परिमाण तथा निर्गत किये गये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र की संख्या के संबंध में जानकारी देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अगले माह के पांच तारीख तक मासिक प्रतिवेदन देना होगा।

3. अपना केन्द्र मोटर यान निरीक्षक या परिवहन विभाग के उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये खुला रखना होगा साथ ही केन्द्र द्वारा संधारित सभी उपकरण एवं अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।

4. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 115 के उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुपालन में मोटर वाहन की किमी भी त्रुटि को दूर करना होगा।

5. बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली 2017 के अधीन विहित शुल्क ही प्राप्त करना होगा।

6. अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना जांच केन्द्र को अनुज्ञप्ति में उल्लिखित परिसर से न हटाना होगा।

7. प्रदूषण जांच के लिए मोटर वाहन देने वाले मालिक या चालक के वाहन की जांच शीघ्र की जायगी तथा उन्हें जांच केन्द्र का मालिक अनिवार्य रुप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र शीघ्र देगा।

8. प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक चालक को संकेत देते हुए प्रदूषण जांच केन्द्र नामक एक साईन बोर्ड सहज दृश्य स्थल पर लगायेगा जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति संख्या तथा स्थान का नाम उल्लिखित रहेंगे।

9. प्रदूषण जांच केन्द्र का मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र की 100 पन्नों की तीन प्रतियों में बंधी हुई पुस्तिका, प्रत्येक पर क्रम से नम्बर अंकित होगी, संधारित करेगा और प्रत्येक पुस्तिका अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगी।

10. अनुज्ञप्तिधारी को विभागीय अधिसूचना सं0 3144 दिनांक 05.08.2004 एवं विभागीय परिपत्र सं0 4064 दिनांक 12.10.2004 में निहित शर्त्तों का पालन करना होगा।

11. अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही प्रदूषण प्रमाण–पत्र निर्गत करेंगे।

12. प्रदूषण जांच केन्द्र में वेव–कैमरा का ही प्रयोग किया जायेगा। उपर्युक्त में से किसी भी शर्त्त के उल्लंघण की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।